धारा–97 द0प्र0सं0– जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी परिस्थितियों में जबरन छिपाया जाता है, जिसमें वह रूकावट/छिपाहट अपनाने की कोटि में आता है,तो उस व्यक्ति के लिए तलाशी वारंट जारी किया जाता है।

धारा–98 द0प्र0सं0– जब किसी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका को उसकी इच्छा के विरूद्व किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा अपने पास रोका गया है। तो उस महिला/बालिका को तलाशी वारंट जारी कर न्यायालय में तलब किया जाता है एवं उसकी मर्जी जानने के बाद कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र किया जाता है।

धारा–107/116 द0प्र0स0–क्षेत्र में शांति बनाये रखने हेतु शांति भंग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व इस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है। और उन्हें शांति बनाए रखने हेतु व्यक्ति बन्ध पत्रों/जमानतों से एक वर्ष के लिए पाबन्द किया जाता है।

धारा–109 द0प्र0सं0–धारा–109 द0प्र0स0 के तहत चोरी या अन्य कोई अपराध के इरादें से छिप रहे हैं एवं गिरफतार किये गये व्यक्ति को न्यायालय द्वारा एक वर्ष के लिए नेक चलन बरतने हेतु पाबन्द किया जाता है।

धारा–110 द0प्र0सं0–ऐसी अपराधी जो अक्सर अपराध करते हैं, एवं इस कार्य के अभ्यासी हो गये हैं। उनसे इस धारा के अर्न्तगत तीन वर्ष के लिए नेक चाल चलन के लिए बन्ध पत्र भरवाया जाता है।

धारा–133 द0प्र0सं0–किसी व्यक्ति,समुदाय अथवा संस्था द्वारा न्यूसेस करने पर उसके विरूद्व धारा–133 द0प्र0सं0 के तहत सशर्त आदेश जारी किया जाता है। दोष सिद्व होने पर सशर्त आदेश की पुष्टि करते हुए लोक न्यूसेस हटवा दिया जाता है। इसके अर्न्तगत सार्वजनिक रास्ते के अवरोध हटाने,रोड पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले भवनों को धवस्त करने खतरनाक मानवभक्षी जानवरों को खत्म करने, प्रदूषण उत्पन्न करने वाली इकाइयों को बन्द करने एवं अनेक ऐसे आदेश दिये जा सकते हैं, जिनसे सार्वजनिक स्वास्थ्य,शांति,जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया हो।

धारा–145 द0प्र0स0–जब किसी जमीन/जायजाद भूमि या जल के कब्जे को लेकर शांति भंग का अंदेशा होता है, तो धारा 145 द0प्र0स0 के तहत कार्यवाही कर उचित कायवाही की जाती है। सम्पत्ति को कुर्क कर किसी सहनेदार की सुपुर्दगी में वाद के निस्तारण तक के लिए दे दिया जाता है।

धारा–174(3) द0प्र0स0–इस धारा के अर्न्तगत जब किसी शादी शुदा औरत की शादी के 7 साल के अन्दर अगर अप्राकृतिक मौत होती है,तो इसकी जांच करायी जाती है, और इस दौरान यह

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

भी पता लगाया जाता है कि मृत्यु का सम्बन्ध कहीं दहेज से तो नहीं है।परगना मजिस्ट्रेट यदि किसी को दोषी मानता है, तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष को केस रजिस्टर करने के लिए आदेश देता है।

धारा–176 द0प्र0स0–जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक/प्राकृतिक मौत मर जाता है। तो उपजिलाधिकारी इसकी जांच करता है,एवं आवश्यक कार्यवाही दोषियों के विरूद्व करता है। इसके अतिरिक्त पुलिस अथवा चिकित्साधिकारी की मांग पर मृत्यु पूर्व बयान भी लिखे जाते है।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com